

# Uttarakhand Waqf Board

## (Lease Advertiesment)

Print Date : 07-June-2023

### आम सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि (UKDD0014, Waqf Masjid Paltan Bazar Loonia-Masjid Mohalla Kurbura-Kacheri Road and Mohalla Naya Ganj, NA) की निम्न विवरणानुसार सम्पत्ति वक्रफ अधिनियम 1995(यथासंशोधित 2013) की धारा 56 तथा वक्रफ सम्पत्ति पट्टा नियम 2014 (यथासंशोधित 2020) के नियम सं0 4/5 के तहत निम्नवत अंकित अवधि हेतु लीज़ पर दी जानी है। अतः सर्वसामान्य से उत्तराखण्ड वक्रफ बोर्ड के पोर्टल <http://ukwms.org> पर टेण्डर/बोली आमंत्रित की जाती है, इच्छुक व्यक्ति अपना पंजीकरण उपरोक्त पोर्टल पर कर टेण्डर/बोली दे सकते हैं। अधिकतम बोली देने वाले व्यक्ति को सम्पत्ति लीज़ पर आवंटन कर दिया जाएगा।

S.No.	Detail	
1.	Detail of Property/ सम्पत्ति का विवरण	House 1 Dandipur, House
2.	Purpose of Lease/ लीज़ का प्रयोजन	Residential
3.	Duration of Lease/ लीज़ की अवधि	Less than 1 year/11 months
4.	Area of Property/ सम्पत्ति का रकबा (वर्ग मी0)	120.77
5.	Type of Lease Rent/ किराये का प्रकार	Monthly
6.	Reserve Rate of Rent/ लीज़ किराया (रु0)	3,019.25
7.	Remark/टिप्पणी	प्रबन्ध समिति जामा मस्जिद पलटन बाजार मौहल्ला डांडीपुर स्थित एक मकान को 11 माह हेतु किराये पर देना चाहती है अतः इच्छुक व्यक्तियों से प्रतिमाह किराये की बोली आमंत्रित है।

### लीज़ की बोली/टेण्डर का विवरण

S.No.	Bid/Auction Invitation Detail	
1.	Adverties Publish Date	21-Mar-2023 13:38
2.	Last Date & Time of Receiving Bid/Tender	01-Apr-2023 11:00
3.	Technical Bid Opening Date & Time	01-Apr-2023 12:00
4.	Financial Bid/Auction Date & Time	01-Apr-2023 12:05

### वांछित दस्तावेजों की सूची

SrNo	Name
1	1. आधार कार्ड की स्वप्रमाणित छायाप्रति।
2	शपथ-पत्र, यह कि आवेदक मस्जिद की प्रबन्ध समिति में सम्मिलित नहीं है और न ही उसके भाई, पिता, पुत्र प्रबन्ध समिति में है। और न उसने किसी भी वक्रफ की किसी सम्पत्ति पर अवैध कब्जा किया है।

### सामान्य शर्तें

- वक्रफ के मुतवल्ली/प्रबन्ध समिति के पदाधिकारी, सदस्य/बोर्ड के सदस्य तथा उनके पति-पत्नी/संतान/भाई-बहन/भाईयों-बहनों के पति-पत्नी/भाईयों-बहनों की संतानें लीज़ प्रक्रिया में भाग लेने के लिए अर्ह नहीं होंगे अर्थात भाग नहीं ले सकेंगे।
- किसी भी वक्रफ के अवैध कब्जेधारी/अवैध क्रेता-विक्रेता लीज़ प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रतिबन्धित है।